स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित करोड़ों के विकास कार्यों को हरी झंडी

द्रव्यवती नदी के किनारे एलिवेटेड ट्रैफिक कॉरिडोर बनेगा, डीपीआर को मंजूरी

ट्रैफिक सुधार, खेल अवसंरचना और नई योजनाओं को मिलेगा बल

समाचार जगत न्यूज

जयपुर. जयपुर शहर में यातायात के दबाव को कम करने और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए द्रव्यवती नदी के साथ प्रस्तावित एलिवेटेड ट्रैफिक कॉरिडोर बनेगा। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 6.00 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के क्रियान्वयन से शहर में यातायात की सुगमता बढ़ने और जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को जेडीए की प्रोजेक्ट वर्क्स कमेटी (पीडब्ल्यूसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में शहर के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने, यातायात व्यवस्था को बेहतर करने और नई विकास योजनाओं को गति देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श कर करोड़ों रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गईं।

चार जगहों पर बाक्स कल्वर्ट का निर्माण होगा : इसी क्रम में द्रव्यवती नदी पर 4 स्थानों पर सुगम आवागमन करने के उद्देश्य से बॉक्स कल्वर्ट निर्माण कार्यों के लिए 16.67 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।

महल रोड पर ट्रैफिक सुधार होगा

यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जोन-9 स्थित हरे कृष्ण मार्ग (महल रोड) पर एट-ग्रेड यू-टर्न सुविधा के निर्माण कार्य को 12.12 करोड़ रुपये की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं जोन-6 की लोहा मंडी योजना के शेष क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 6.09 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा

खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए द्रव्यवती नदी के किनारे आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण एवं विकास के लिए 7.90 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को प्रस्तावित आउटडोर स्टेडियम के लिए आवंटित भूमि की प्लानिंग का अनुमोदन भी किया गया।

लैंड पूलिंग स्कीम को मंजूरी : बैठक में टोंक रोड स्थित ग्राम शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा क्षेत्र में प्रारंभिक लैंड पूलिंग स्कीम प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई, जिससे इन क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

सीवरेज पंपिंग स्टेशन के लिए भूमि आवंटन

इसके अतिरिक्त नगर निगम हेरिटेज की 'अमृत 2.0 योजना' के तहत सीवरेज पंपिंग स्टेशन के लिए भूमि आवंटन, जेडीए एवं रीको के मध्य हस्तांतरित 4.57 हेक्टेयर भूमि की प्लानिंग, तथा जेडीए की सेटल स्पाइन योजना के ब्लॉक–II की रिप्लानिंग को भी स्वीकृति प्रदान की गई। जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से शहर की यातायात व्यवस्था और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी तथा जयपुर के सुनियोजित और सतत विकास को नई गति प्राप्त होगी। बैठक में सचिव निशांत जैन, निदेशक आयोजना मृणाल जोशी, निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम देवेंद्र गुप्ता सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

चेक अनादरण मामला : विशेष अदालत ने खारिज किए 6 लाख के 2 मुकदमे, आरोपी बरी

जयपुर, समाचार जगत न्यूज. ऋण की अदायगी पेटे 03–03 लाख रुपए के दिए गए दो चेकों के बैंक से अनादरित होने के अलग–अलग दोनों मामलों में एनआई एक्ट मामलों की स्पेशल कोर्ट, क्रम संख्या–07, मेट्रो प्रथम में जज सीमा रानी ने आरोपी के प्रति कोई भी विधिक अदायगी नहीं मानते हुए परिवादों को खारिज करने के आदेश दिए है। साथ ही अदालत ने मामले में आरोपी रही पूजा अग्रवाल को दोषमुक्त करने के भी आदेश दिए है। इस संबंध में अमित शर्मा ने 09 मार्च, 2021 को अदालत में उपरोक्त परिवाद दायर किया था। एडवोकेट अमित शर्मा ने आरोपी रही पूजा की ओर से परिवाद का कड़ा विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि उसने परिवादी से कोई ऋण नहीं लिया था। बिना कोई राशि बकाया होने पर भी अदालत में ये झूठा परिवाद पेश किया है। अधिवक्ता अमित शर्मा का यह भी कहना था कि परिवादी ने कोई मनी लेडिंग लाईसेंस भी पेश नहीं किया है। आरोपी की निजी, पारिवारिक एवं व्यवसायिक आवश्यकता को भी स्पष्ट नहीं किया है। परिवादी इतनी बड़ी राशि 6 लाख रुपए उधार देने की तारीख, माह एवं साल कोर्ट में प्रमाणित ही नहीं कर सका है। राशि जरिए नकद या बैंक ट्रांसफर से देने की भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। उधार देने की कोई रसीद व अनुबंध पत्र भी पेश नहीं किया है। प्राथी अदालत के समक्ष ना तो अपनी वित्तीय हैसियत साबित कर सका है और ना ही आरोपी से कोई प्रत्यक्ष रिश्ता व संबंध। परिवादी अपने परिवाद को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं।

आरयू में एनएसएस शिविर सम्पन्न

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से एनएसएस शिविर महत्वपूर्ण

जयपुर, समाचार जगत न्यूज. विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आयोजित सप्त दिवसीय विशेष शिविर सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम महाविद्यालय प्राचार्य प्रो. विनोद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ एवं मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय समन्वयक एस. पी. भटनागर उपस्थित रहे। महाविद्यालय प्राचार्य ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डॉ मीना रानी ने सप्त दिवसीय शिविर की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रतिभागियों की उभरती प्रतिभा के बारे में बताया। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को दिशानिर्देश प्रदान करते हुए कर्तव्य बोध कराया। शेष विद्यार्थियों को पुरुस्कृत करने के पश्चात डॉ. मीता शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम), पी.टी.आई. - विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर - 302005

निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति

रा. ऊ. वि. एवं आईटी सर्विसेस लि. जयपुर द्वारा एन. आई. टी संख्या 13/2025-26 में यथा उल्लेखित नियमों/ शर्तों/ तकनीकी विशिष्टता के अनुसार ईकुक निविदादाता/ फ़र्म/ एजन्सी से मैन पावर विध मशीन (कम्प्युटर विध ऑपरेटर) हेतु अलग अलग मोहरबंद लिफाफो मे निविदा आमंत्रित की जाती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया http://eproc.rajasthan.gov.in और www.sppp.rajasthan.gov.in की वैबसाइट देखें। UBN NO.:- RUV2526LSOB00019

दि.एस.एस./सी/25/22438 अधीक्षण अभियन्ता/डीएसएम-117 (2026) उप निदेशक (मा. स.)
बिजली दिक्कतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6507

न्यूज गैलरी

आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी जारी

जयपुर, समाचार जगत न्यूज. राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर लॉटरी जारी कर दी गई। यह लॉटरी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में आयोजित की गई। इसके माध्यम से राज्यभर के गैर–सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नि:शुल्क सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में आरटीई के तहत 36,424 विद्यालयों में नि:शुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 33,137 विद्यालयों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 3287 विद्यालयों के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इस बार कुल 19,92,357 ऑनलाइन आवेदन आरटीई के तहत प्राप्त हुए, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। प्रदेश के लिए कुल 6.25 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने किया था आवेदन। इनमें 3.29 लाख बालक, 2.95 लाख बालिकाएं और 11 ट्रांसजेंडर विद्यार्थी शामिल हैं।

वेबसाइट पर देख सकेंगे परिणाम : आरटीई के तहत जारी की गई लॉटरी सूची को अभिभावक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने आवेदन की आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉग इन करना होगा. इसके बाद वे अपने बच्चे का आवंटित विद्यालय और वरीयता क्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

हीट वेव की आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग सतर्क

जयपुर, समाचार जगत न्यूज. जिले में हीट वेव के बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रभावी प्रबंधन किए जाने हेतु निदेशालय से प्राप्त निर्देशानुसार समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा संस्थानों में हीट वेव के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक व्यवस्थाएं के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें इमरजेंसी कक्ष का प्रबंधन सुनिश्चित करने, तापमान नियंत्रण हेतु ए.सी./कूलर/पंखे/पर्दे इत्यादि की समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सा संस्थानों पर बेड आरक्षित कर लू–तापघात से पीड़ित रोगियों हेतु आइसोलेशन कॉर्नर स्थापित किये जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। लू–तापघात के उपचार में आने वाली आवश्यक दवाइयों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, हीट स्ट्रोक से संबंधित आने वाले केसों का रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही तापमान की अधिकता की स्थिति में मनरेगा कार्य योजना के अनुरूप बचाव एवं रोकथाम करने के निर्देश दिए गए हैं। उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) प्रथम डॉ. ज्ञान गुप्ता ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में हीट वेव से बचाव सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाओं जैसे ओ.पी. डी., रजिस्ट्रेशन एवं दवा वितरण काउंटर पर छाया, पीने का स्वच्छ शीतल जल की व्यवस्था, वेटिंग एरिया में शेड व्यवस्था तथा संस्थानों में साफ–सफाई आदि की सुनिश्चितता करने के निर्देश दिए गए है।

जयपुर पुलिस आयुक्त आज भांकरोटा थाने पर करेंगे जनसुनवाई

जयपुर, समाचार जगत न्यूज. जयपुर पुलिस आयुक्त संचिन कलश शनिवार को दोपहर 11.30 से 01.30 बजे तक भांकरोटा थाने पर उपस्थित रहकर जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान बगरू सर्किल के बगरू, सेझ, भांकरोटा एवं बिदायका पुलिस थाने क्षेत्र के परिवादियों की जनसुनवाई की जाएगी। जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुंचाना है।

बच्चों में जन्मजात अंधेपन के जीन थैरेपी से इलाज के बेहतर परिणाम

अब जीन थैरेपी से आंखों की जन्मजात बीमारियों का इलाज संभव

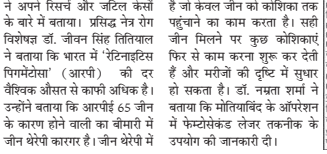

जयपुर, समाचार जगत न्यूज. कुछ आंखों की बीमारियां ऐसी होती हैं जो माता-पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से पहुंचती हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी बीमारियों में रेटिना की कोशिकाएं धीरे-धीरे खराब हो जाती हैं और व्यक्ति की दृष्टि कम होती चली जाती है। लेकिन अब जीन थेरेपी से इनका कारगर इलाज संभव है। जेईसीसी में आयोजित चार दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 'एआईओसी 2026' के दूसरे दिन एक्सपर्ट्स ने इलाज की नवीनतम तकनीकों के बारे में बताया।

कॉन्फ्रेंस के ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. मुकेश शर्मा ने बताया कि ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन ऑप्थॉल्मोलॉजी क्विज में विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 80 से अधिक साइंटिफिक सेशन आयोजित हुए जिसमें डॉक्टर्स ने अपने रिसर्च और जटिल केसों के बारे में बताया। प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. जीवन सिंह तितियार ने बताया कि भारत में 'रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा' (आरपी) की दर वैश्विक औसत से काफी अधिक है। उन्होंने बताया कि आरपीई 65 जीन के कारण होने वाली का बीमारी में जीन थेरेपी कारगर है। जीन थेरेपी में वैज्ञानिक खराब जीन की जगह सही जीन को आंख की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। इसके लिए विशेष प्रकार के वायरस का उपयोग किया जाता है जो वेक्टर जीन को कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। सही जीन मिलने पर कुछ कोशिकाएं फिर से काम करना शुरू कर देती हैं और मरीजों की दृष्टि में सुधार हो सकता है। डॉ. नम्रता शर्मा ने बताया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में फेम्टोसेकेंड लेजर तकनीक के उपयोग की जानकारी दी।

निःशुल्क कैंसर जांच एवं जागरूकता शिविर आयोजित

जयपुर, समाचार जगत न्यूज. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के कैंसर केयर महिला प्रकोष्ठ और भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार, 13 मार्च 2026 को विश्वविद्यालय परिसर, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, जयपुर में निःशुल्क कैंसर जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर का उद्देश्य आमजन, विशेष रूप से महिलाओं को कैंसर के प्रति जागरूक करना तथा समय पर जांच के महत्व के बारे में जानकारी देना था। शिविर में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, कर्मचारियों तथा आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भाग लेकर स्वास्थ्य जांच करवाई।

शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा विभिन्न प्रकार की

निःशुल्क जांचें की गईं। इनमें प्रारम्भिक स्वास्थ्य जांचों के साथ साथ मैमोग्राफी, पेप स्मीयर , प्रोस्टेट कैंसर, ट्यूमर मार्कर जांच, सीए-125, फेफड़ों, सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण शामिल थे। साथ ही उपस्थित चिकित्सकों ने कैंसर के शुरुआती लक्षणों, बचाव के उपायों और समय पर जांच के महत्व के बारे में भी जानकारी दी।

इस अवसर पर भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रो. (डॉ.) संजय गोयल ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल कौशल आधारित शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से निभाता है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य जागरूकता और निःशुल्क जांच शिविर जैसे कार्यक्रम समाज के लोगों को समय रहते बीमारी के प्रति सचेत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के मामलों में समय पर जांच और सही जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

रोटेरियन अनिल अग्रवाल मनीला जाएंगे

जयपुर, समाचार जगत न्यूज. रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट फ्रांसेस्को अरेजो ने जयपुर के पूर्व गवर्नर को मनीला , फिलीपींस में होने वाले सम्मेलन के लिए अपना आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया है । अनिल अग्रवाल रोटरी की नेशनल व इंटरनेशनल कमेटीज में भी हैं । मनीला सम्मेलन में रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनिल अग्रवाल 20 अप्रैल को मनीला जाएंगे।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड-सीकर
प्रकाशन :- समाचार 20953760 दिनांक :- 10/03/2026

बिड आमंत्रण सूचना संख्या 08/2025-26

निर्माण कार्य राजकीय महाविद्यालय धौद जिला सीकर एवं पशु चिकित्सालय जी मरम्मत सुजानगढ़ जिला चूरू की समयावधि कार्य हेतु लीप रू. अमाउ 2.84 लाख से 7.26 लाख के कार्यों की ऑन-लाईन बिड ई-जेएसएसएल (www.eproc.rajasthan.gov.in) के माध्यम से उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत विक्रेतों से आमंत्रित की जाती है। बिड से संबंधित विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट www.agriculture.rajasthan.gov.in/rsamb एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
निरंतर UBN No: AGM2526WSRC01665 to 66 है।
दि.एस.एस./सी/25/22320 अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड-सीकर

राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005, फोन-0141-2227751,4592201
ई-मेल-rico@rico.co.in वेबसाइट-rico.rajasthan.gov.in

निविदा सूचना

रीको द्वारा निम्नांकित कार्य/आपूर्ति/सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सीलबंद निविदाएं एवं राशि रू. 2.00 लाख से अधिक की निविदाएं ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाइन निर्धारित प्रपत्र में eproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है:-

इकाई का नाम, UBN एवं कार्य की राशि (लाख रु. में):- बालोतरा–औद्योगिक क्षेत्र बोरावाल द्वितीय चरण, बालोतरा के विकास कार्य। **RDC2526WLOB0174(85536.08), ईदीमाढ़ी**–औद्योगिक क्षेत्र, **जयपुर**–औद्योगिक क्षेत्र रामचन्द्रपुरा में ओवर हैड टैन्की बोर्ड की आपूर्ति एवं लगाना, सी.सी. रोड व डामरीकरण रोड की चौड़ाई का कार्य, टाइल लगाने का कार्य, फुटपाथ के निर्माण का व एप्रोटी कॉरीडोर के विकास का कार्य। **RDC2526WLOB0178(2060.00),** इकाई कार्यालय के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र ईपीआईटी, सीतापुरा–प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सप्तमें चरण एवं संस्थापित क्षेत्र व विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रथम एवं द्वितीय, रामचन्द्रपुरा, प्रदत्तापुरा एवं आलनीय कॉलोनी में निर्माण रख–रखाव एवं पानी का कार्य। **RDC2526WLOB0178(1017.88),** RDC2526WSOB01787(41.17), RDC2526WSOB01788(19.07), RDC2526WSOB01789(8.31), RDC2526WSOB01790(20.10), RDC2526WSOB01791(53.00), **मिवाड़ी–प्रथम**–औद्योगिक क्षेत्र कहारनी में नालियों को ढकने का कार्य। **RDC2526WLOB0182 (1782.98),** RDC2526WSOB01794(1.89), RDC2526WSOB01795(14.82), RDC2526WSOB01796(113.45), RDC2526SSOB01760(6.36), RDC2526WSOB01761(112.49), **जयपुर(ग्रामीण)**–श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कुजविहारीपुरा में स्ट्रीट लाईट व हाई मास्ट लाईट की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य। **RDC2526WLOB01770(673.99),** RDC2526WSOB01773(183.98), RDC2526WSOB01774(17.67), RDC2526WSOB01776(76.44), RDC2526WSOB01777(77.50), RDC2526WSOB01779(14.65), RDC2526WSOB01781(47.50), RDC2526WSOB01782(145.53), RDC2526WSOB01772(1.77), **अजमेर–RDC2526WSOB01784(229.84), RDC2526WSOB01808(360.77), RDC2526WSOB01809(205.01),** RDC2526WSOB01775(3.28), RDC2526WSOB01778(11.89), RDC2526WSOB01783(3.81), RDC2526WSOB01771(1.90), RDC2526WSOB01810(28.04), **जालोर–RDC2526WSOB01818(427.22),** RDC2526WSOB01822(19.39), **नीमराना–RDC2526WSOB01820 (480.20),** RDC2526WSOB01827(16.89), RDC2526WSOB01828(11.82), RDC2526WSOB01829(34.34), **आबूरोड–RDC2526WSOB01816(58.68), RDC2526WSOB01817(204.68), सवाईमाधोपुर–RDC2526WSOB01816(311.23),** RDC2526WSOB01814(3.71), RDC2526WSOB01815(7.26), RDC2526WSOB01838(16.03), RDC2526WSOB01835(1.91), **श्रीगंगानगर–RDC2526WSOB01847(281.05),** RDC2526WSOB01848(11.41), RDC2526WSOB01849(11.38), RDC2526WSOB01846(4.43), RDC2526WSOB01845(1.76), **जयपुर(दक्षिण)**–RDC2526WSOB01737(4.40), RDC2526WSRC01738(4.32), RDC2526WSOB01739(1.88), RDC2526WSOB01740(3.72), **जयपुर(उत्तर)**–RDC2526WSOB01746(74.40), RDC2526WSOB01747 (9.00), RDC2526WSOB01748(27.72), RDC2526WSOB01749(31.32), RDC2526WSOB01750(6.84), RDC2526WSOB01751(4.52), RDC2526WSOB01752(12.43), RDC2526WSOB01753(1.72), RDC2526WSOB01754(1.92), **जोधपुर**–RDC2526WSOB01762(102.37), RDC2526WSOB01763(31.22), **नागौर**–RDC2526WSOB01764(59.85), **झुंझुनूं**–RDC2526WSOB01765(6.76), RDC2526WSOB01766(6.77), **बांसवाड़ा**–RDC2526WSOB01792(8.39), RDC2526WSOB01793(8.68), **सीकर**–RDC2526WSOB01755(92.86), **किशनगढ़**–RDC2526WSOB01798(135.38), RDC2526WSOB01800(10.52), RDC2526WSOB01801(26.56), RDC2526WSOB01802(11.87), RDC2526WSOB01803(54.03), RDC2526WSOB01804(9.58), **पाली**–RDC2526WSOB01805(12.10), RDC2526WSOB01806(18.30), **दौसा**–RDC2526WSOB01807(38.64), **भरतपुर–RDC2526WSOB01826(26.27), उपखण्ड**–RDC2526WSOB01767(1.91), RDC2526WSOB01768(1.99) RDC2526WSOB01768(1.91), RDC2526WSOB01813(1.91), RDC2526WSOB01811(1.90), **निवाई(टोंक)**–RDC2526WSOB01832(96.77), RDC2526WSOB01833(11.97), RDC2526WSOB01834(8.18), RDC2526WSOB01836(20.00), RDC2526WSOB01837(8.38), RDC2526WSOB01839(10.78), RDC2526WSOB01840(10.67), RDC2526WSOB01841(10.67), RDC2526WSOB01842(10.64), RDC2526WSOB01843(29.30), RDC2526WSOB01844(12.09), **कोटा**–RDC2526WSOB01850(36.99), RDC2526WSOB01851(16.31), RDC2526WSOB01852(4.20), **बीलवाड़ा**–RDC2526WSOB01853(3.54), RDC2526WSOB01854(1.98), **भीलवाड़ा**–RDC2526WSOB01856(2.76), RDC2526WSOB01756(13.31), RDC2526WSOB01757(165.35), RDC2526WSOB01758(112.49), RDC2526WSOB01759(5.44)

कुल कार्यों की संख्या–121
निविदा का विस्तृत विवरण, नियम इत्यादि एवं भविष्य में निविदा में किसी प्रकार के संशोधन/तिथि बढ़ने की जानकारी हेतु वेबसाइट rico.rajasthan.gov.in/ www.eproc.rajasthan.gov.in/ www.sppp.rajasthan.gov.in को देखें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: महाप्रबंधक (सिविल), फोन – 0141–4593214
Raj.Samvad/C/25/22428

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त-तृतीय, जयपुर
क्रमांकः- 799 **आम जाहिर सूचना** दिनांकः- 13.03.26
राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा आवास संख्या-2/8ए अजमेर नगर जयपुर बीकमत 2,93,00,617 रुपा का 30ईटर की पूर्व दाम चुकाना एवं भी नन्द लाल चकाना की किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1063 दिनांक 15/07/1974 जारी किया गया था। उक्त ओर आवास के पंजीयन दर्ज का विभाग कार्यालय जा पंजियक, जयपुर क्रमा में दिनांक 31/03/1999 को करवाया गया। भी पूर्ण दाम चुकाने के द्वारा अपने जीवन काल में उक्त उपरिवादगण 1. श्रीमती रेखा विहारी उनका पुत्री श्री सुरेशचन्द चुकाया पत्नी श्री विजय विहारी, 2. श्री विजय विहारी पुत्र श्री श्याम सुन्दर विहारी, 3. विकास विहारी पुत्र श्री विजय विहारी 4. सुनिता विहारी जोकि नाबालिग संरक्षक पिता श्री विजय विहारी के पक्ष में किया गया है। श्री सर्व उक्त उपरिवादगणा का निगरान कार्यालय उप पंजीयक प्रथम में दिनांक 23/04/2004 को करवाया गया। तत्पश्चात आवास के पूरा आवंटी श्री पूर्ण दाम चुकाना भी मृत्यु दिनांक 08/06/2004 को हो जाने के कारण नहीं। ईसलिए आवास आवंटीकर्ता 1. श्रीमती रेखा विहारी उनका पुत्री श्री सुरेशचन्द चुकाया पत्नी श्री विजय विहारी, 2. श्री विजय विहारी पुत्र श्री श्याम सुन्दर विहारी नाबालिग सर्व व कोर्टगार्डन संरक्षक सुनेश प्रार्थनीय पुत्र विजय विहारी 3. विकास विहारी पुत्र श्री विजय विहारी के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरीये विक्रय पत्र के श्री राम नन्दलाल काला पुत्र श्री बद्री नारायण काला को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र का निबंधन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक 23/11/2004 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री राम नन्दलाल काला पुत्र श्री बद्री जी द्वारा उक्त आवास का पुनःविक्रय श्री राम शरण पत्नी श्री राम नन्दलाल काला को किया गया। जो पुनःपरामनामान कार्यालय उपपंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक 23/11/2004 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री राम नन्दलाल काला पुत्र श्री बद्री जी द्वारा उक्त आवास का पुनःविक्रय श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री रामनारायण शर्मा को नियुक्त कर दिया गया। वह पुनःपरामनामान कार्यालय उपपंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक 23/11/2004 को करवाया गया। उपरोक्त श्री राम नन्दलाल काला पुत्र श्री बद्री जी द्वारा उक्त आवास का पुनःविक्रय श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री रामनारायण शर्मा को नियुक्त कर दिया गया। वह पुनःपरामनामान कार्यालय उपपंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक 23/11/2004 को करवाया गया। श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री रामनारायण शर्मा ने आवास बनाने हेतु श्री अशोक कुमार को ठेका दिया गया। उक्त आवास का पूरा आवंटी श्री राम पंचोलिया से जारी के बाद पश्चात्वर्ती अग्रिम क्रेती का नाम कायम आधिपत्य में दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया है। उक्त नाम दर्ज के बाद में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विधिवि प्रमाणन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा उक्त अग्रिम श्री कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री आवास बनाना चुन श्री अशोक कुमार का नाम कायम दिनांक में दर्ज कर दिया जायेगा। **सम्पदा प्रबंधक**
राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त तृतीय, जयपुर

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी/84 बीएनएसएस देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **विक्रम सिंह पुत्रः भगवान सिंह पताः गाँव भूंडिया, थाना टोडाभिम, जिला सवाइ माधोपुर, राजस्थान** ने case FIR No. 399/2015 U/s 498/406/494 IPC, थानाः कालकाजी, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **विक्रम सिंह** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **विक्रम सिंह** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि case FIR No. 399/2015 U/s 498/406/494 IPC, थानाः कालकाजी, दिल्ली के उक्त अभियुक्त **विक्रम सिंह** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद/मुकदमा का उत्तर देने के लिए **दिनांक 29.04.2026** को या उससे पूर्व हाजिर हो।

आदेशानुसार
डॉ. नेहा सैनी
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (महिला कोर्ट)–02
कमरा नं. 507
साकेत कोर्ट परिसर, दिल्ली
DP/3158/SW/2026 (Court Matter)

जयपुर एआरवी : लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान-302001
ई-मेल: ARB.jaipur@bankofindia.bank.in
बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

परिशिष्ट-IVक [नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) का परन्तुक देखें]

अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभू हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक है, का सांकेतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर एआरवी (7446), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "